निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 14 वर्ष 2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, संचाई खण्ड, रूद्रप्रयाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, संचाई खण्ड, रूद्रप्रयाग के माह 04/2016 से 04/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री पी.के. श्रीवास्तव एवं श्री सुनील कुमार, सहायक लेखा परीक्षा अ धकारियों, श्री गौरव रावत, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 26/05/2017 से 06/06/2017 तक श्री जगमोहन संह रावत, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

<u>भाग-I</u>

1. <u>परिचयात्मकः</u> नई इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री आर.एन.यादव एवं श्री अशोक कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारियों द्वारा दिनांक 02/05/2016 से 09/05/2016 तक श्री ……. … … … … वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 12/2014 से 03/2016 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 02/05/2016 से 09/05/2016 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।
2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः रूद्रप्रयाग।

   (ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	शीर्ष	स्थापना		गैरस्थापना	
		प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय
2014-15	08443	345.71	301.62	641.69	641.69
	4700	-	-	337.27	337.27
	CSSR	-	-	1174.56	1174.53
2015-16	8443	295.15	295.15	608.62	608.62
	4700	-	-	61.69	61.69
	CSSR/SPSR	-	-	1639.87	1639.87
2016-17	8443	297.65	253.14	405.71	405.71
	4700	-	-	169.74	169.74
	CSSR/SPAR	-	-	246.40	246.40

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त ` (लाख)	व्यय (+) ` लाख	बचत (-) ` लाख
2014-15	सयागाड़ AIBP	-	47.52	5.12	
		35.55	35.55	35.55	

(iii) इकाई को बजट आवंटन केंद्र शासन एव राज्य शासन द्वारा कया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई **A** श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

स चव
प्रमुख अ भयन्ता
मुख्य अ भयन्ता (श्रीनगर)
अधीक्षण अ भयन्ता (रूद्रप्रयाग)
अ धशासी अ भयन्ता
सहायक अ भयन्ता

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता**,** संचाई खण्ड, रूद्रप्रयाग को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता**,** संचाई खण्ड, रूद्रप्रयाग की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017 को वस्तृत जाँच हेतु चयनित कया गया। रूद्रप्रयाग के जखोली वकास खण्ड के चाका, पूर्वी चाका एवं फलाटी गांव की मंदाकनी नदी से बाढ़ सुरक्षा का वस्तृत वश्लेषण कया गया। प्रतिचयन अ धक व्यय के आधार पर कया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अ भयंता द्वारा वगत लेखापरीक्षा से अब तक की अव ध में दिनांक 12/03/2015 से 18/02/2016 का निरीक्षण कया गया।

4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 09/2016 तथा 09/2016 तक की गई।

5. फार्म 51: माह 04/2017 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः-

भाग प्रथम ` 17945/-

भाग द्वितीय ` 94630/-

6. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 04/2017 के अन्त में

(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम - 406910=00

(ख) सामग्री क्रय - शून्य

(ग) नगद परिशोधन - शून्य

(घ) निक्षेप- 36628466=00

(ङ) भण्डार- ` 5151098=00

भाग-II 'अ'

प्रस्तरः 1- वत्तीय नियमों एवं नाबार्ड के दिशा-निर्देश की अवहेलना तथा समय के कुप्रबंधन एवं भू म के अ धग्रहण कए बिना अधूरे कार्य निष्पादन पर निरर्थक व्ययः- 288.46 लाख।

रूद्रप्रयाग में जखौली वकास खण्ड में कुल 274 हेक्टेयर भू म को संचाई सु वधा प्रदान करेन के लए उत्तराखण्ड शासन द्वारा नाबार्ड योजना के अंतर्गत 18 कलोमीटर लम्बी लस्तर बाई नहर को निर्माण के लए 984.28 लाख की वत्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति मार्च 2012 में इस शर्त के साथ प्रदान की गयी थी क स्वीकृति की ति थ के दो वर्ष के अंदर कार्य को आवश्यक कार्यादेश निर्गत कर प्रारम्भ कया जाना चाहिए अन्यथा स्वीकृति व्यपगत हो जाएगी। नाबार्ड द्वारा संबं धत स्वीकृति के अनुसार कार्य प्रारम्भ नहीं कए जाने के कारण जनवरी 2014 में निरस्त कर दिया गया था।

इस स्वीकृति के अंतर्गत 18 कलोमीटर लम्बी नहर के आधे भाग (9000 मीटर) का निर्माण 350 एमएम ब्यास के MS पाइप से कया जाना था जब क शेष आधे भाग (9000 मीटर) का निर्माण masonry चैनल के द्वारा कया जाना प्रस्ता वत था। कार्य निष्पादन के लए वांछित प्र व धकी स्वीकृति लेखा परीक्षा ति थ (मई-जून 2017) तक प्रदान नहीं की गयी थी परन्तु, आति थ तक 288.46 लाख का व्यय (मार्च 2014) 18 कलोमीटर के सापेक्ष 3.4 कलोमीटर में नहर निर्माण के लए फरवरी 2014 में गठित 17 अनुबंध (अनुबं धत रा श 331.80 लाख) के माध्यम से कया गया था। अनुबंधों के अनुसार कार्य अप्रैल-मई 2014 में पूर्ण कया जाना था।

उपरोक्त संदर्भ में अ भलेखों की जांच में यह पाया गया क कार्य सम्पादन की मुख्य बिन्दु समय-प्रबन्धन की अवहेलना की गयी थी। इसके साथ ही, कार्य सम्पादन के लए आवश्यक वन-भू म को भी बिना अ धग्रहित कए एवं प्र व धकी स्वीकृति को बिना प्राप्त कए नि वदा सतम्बर 2013 में प्रका शत कर दी गयी थी और तत्पश्चात फरवरी 2014 में केवल 3.4 कलोमीटर में नहर निर्माण के लए 17 अनुबंधों का गठन कया गया था जब क यह ज्ञातव्य है क जनवरी 2014 में ही नाबार्ड द्वारा स्वीकृति को निरस्त कर दी गयी थी जैसा क उक्तां कत है।

उक्त के क्रम में संबं धत अनुबंधों के अद्यतन देयक से ज्ञात होता है क अनुबंधों में व र्णत 13 मदों के सापेक्ष केवल एक मद यथा MS पाइप की आपूर्ति कार्यस्थल से इतर Road Head तक ही की गयी थी और सामाग्री भी वर्तमान में ठेकेदारों के संरक्षण में है। कुल व्यय 288.46 लाख (मार्च 2014) में 250.96 लाख रा श पाइप के आपूर्ति से संबं धत थी। लेखा परीक्षा जांच में यह पाया गया था क मार्च 2014 से मई-जून 2017 (38 महीनों में) यथा वगत तीन वत्तीय वर्ष (2014-15 से

2016-17) में कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई थी। पुनः कार्य के आगणन को पुनरि क्षत कर दुबारा वत्तीय स्वीकृति भी प्राप्त कया जाना संभव नहीं है क्यों क खण्ड द्वारा प्रे षत की गयी पुनरी क्षत आगणन (3165.19 लाख जो क मूल स्वीकृत लागत से 2180.91 लाख अ धक थी तथा योजना की प्रति हेक्टेयर लागत 2.50 लाख के सापेक्ष 9.65 लाख थी) को अधीक्षण अ भयन्ता के द्वारा लाभ-लागत अनुपात 0.78 (जो क एक से कम है) होने के कारण अग्रेतर स्वीकृति हेतु वचारणीय (9 मार्च 2016) नहीं था।

उपरोक्त तथ्यों को इं गत कए जाने पर, खण्ड द्वारा बतलाया गया क नाबार्ड द्वारा स्वीकृति के निरस्तीकरण की सूचना जनवरी 2014 में प्राप्त होने के पूर्व अनुबंधों हेतु नि वदा की कार्यवाही (सतम्बर 2013) में प्रारम्भ कर दी गयी थी। वन भू म एवं प्रा व धकी स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था। अनुबंधों के अंति मकरण के संबंध में बतलाया गया क इस संबंध में उच्चा धकारियों से कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। पुनः यह भी बतलाया गया क पुरी क्षत आगणन पर स्वीकृति प्राप्त कर कार्य को पूर्ण करा लया जाएगा।

खण्ड का उत्तर सभी बिन्दुओं पर ना केवल अता र्कक है बल्कि स्था पत नियम (Extant रूल) के प्रतिकूल भी है। खण्ड द्वारा कार्य निष्पादन में ना सर्फ समय प्रबंधन, नाबार्ड के दिशा निर्देशों तथा उत्तराखण्ड अ धयाप्ति नियमावली के नियम-28 एवं वत्तीय नियमावली वाल्यूम-VI के नियम 318 के अंतर्गत कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व प्रा व धकी स्वीकृति प्राप्त कया जाना आवश्यक है , की अवहेलना की गयी थी बल्कि कार्य निष्पादन के लए वत्तीय नियमावली वाल्यूम-VI नियम 378 के आलोक में भू म का अ धग्रहण भी नहीं कया गया था। खण्ड का यह कहना क अनुबंध गठन के लए नि वदा प्र क्रया (सतम्बर 2013) नाबार्ड के द्वारा स्वीकृति की निरस्तीकरण (जनवरी 2014) के पहले कर दी गयी थी जो क लेखा परीक्षा में बिलकुल ही मान्य नहीं है क्यों क वत्तीय नियमावली वांल्यूम-VI के नियम 360 के अनुसार नि वदा को कभी भी निरस्त कया जा सकता है और तदनानुसार नि वदा का प्रकाशन अनुबंध के गठन के लए वाध्यकारी नहीं है। खण्ड का यह बतलाना क पुरी क्षत आगणन पर स्वीकृति प्राप्त कर कार्य को पूर्ण करा लया जाएगा भी तर्कसंगत नहीं है क्यों क अधीक्षण अ भयन्ता के पत्र (मार्च 2016) के अनुसार खण्ड द्वारा योजना की स्वीकृति के तीन वर्ष बाद पुनरी क्षत आगणन प्रे षत कए जाने का प्रस्ताव औ चत्यपूर्ण नहीं था और यह सू चत कया गया था क योजना को स्वीकृति के एक वर्ष के बाद ही पुनरी क्षत कया जाता है ना क तीन वर्षों के बाद।

इस प्रकार, खण्ड द्वारा समय के कुप्रबंधन के कारण ना सर्फ 274 हेक्टेयर भू म को संचाई सु वध से वं चत कया गया बल्कि अपूर्ण कार्य पर 288.46 लाख का व्यय भी निरर्थक हो गया क्यों क भ वष्य में इस योजना को लाभ-लागत एक से कम होने के कारण पुनरी क्षत कया जाना भी संभव नहीं है जैसा क अ धक्षण के पत्र (मार्च 2016) से वदित है। पुनः बैधानिक प्रावधानों (Extant Rule) तथा नाबार्ड के दिशा निर्देश एवं स्वीकृति की निरस्तीकरण (जनवरी 2014) के बाद अनुबंध का गठन कर अधूरा कार्य पर रा श का व्यय जाना निरर्थक सद्ध होता है जब क कार्य सम्पादन के लए भू म भी उपलब्ध नहीं थी।

अतः प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो 'ब'

प्रस्तर:1- अधिक दर निर्धारण के कारण ठेकेदारों को 151.85 लाख का अनुचित लाभ।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा नाबार्ड योजना के अंतर्गत रूद्रप्रयाग में जखौली विकास खण्ड के अंतर्गत लस्तर बाई नहर (लम्बाई 18 किमी) हेतु 984.28 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी (मार्च 2012)। कार्य के निष्पादन हेतु 17 अनुबंध (मात्र 3.4 किमी. हेतु) 331.80 लाख की धनराशि हेतु गठित किए गए जिसके अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि 27/04/2014 एवं 20/05/2014 थी। कार्य पर वर्तमान तक कुल व्यय 288.46 लाख थी।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, रूद्रप्रयाग के अभिलेखों की जांच में (अप्रैल 2017) में पाया गया कि उपरोक्त नाबार्ड योजना (लस्तर बाई नहर) के अंतर्गत कार्यों के निष्पादन हेतु निस्तृत आगणन में अन्य मदों के साथ एक मद MS pipe (350 mm diameter एवं 4.80 mm thick) का प्राविधान 8500.00 प्रति मीटर[1] की दर से किया गया था जिसमें पाइप कि लागत ऋषिकेश में 6800/- प्रति मीटर की दर से निर्धारित थी जिसके अनुसार खण्ड द्वारा 3200 मीटर पाईप @ 6800/- प्रति मीटर एवं 200 मीटर पाईप @ 5807/- प्रति मीटर[2] का प्राक्यूरमेंट किया गया था जिसके सापेक्ष 231.20 लाख का भुगतान किया गया । लेखा परीक्षा द्वारा पुनः एआईबीपी की एक अन्य योजना (सयागाड़ नहर) के अंतर्गत गठित अनुबंध (17/अ.अ./2015-16 दिनांकित मार्च 2016) की जांच में पाया गया कि खण्ड द्वारा उपरोक्त specification (350 mm diameter एवं 4.80 mm thick) के ही 1200 मी. पाइप का प्राक्यूरमेन्ट @ ₹ 2275.25/- प्रति मी. किया गया था। इस प्रकार खण्ड द्वारा नाबार्ड के अंतर्गत procured 3400 मी. पाइपों पर 151.86 लाख[3] का अधिक भुगतान किया गया था जो एक अनियमित व्यय था। उक्त की ओर इंगित किए जाने पर खण्ड द्वारा उत्तर में बताया गया कि लस्तर बाई नहर से संबंधित अनुबंध फरवरी 2014 में किए गए थे जो व्यापक प्रचार प्रसार पर खुली निविदा पर आधारित थी जबकि सयागाड़ नहर हेतु अनुबंध (17/अ.अ./2015-16 दिनांकित मार्च 2016) दो वर्ष के अंतराल के बाद किया गया था जिसके कारण दरों में अंतर हो सकता है।

---

[1] Cost of Pipe at Rishikesh = Rs 6800.00 per meter, Cartage for Rishikesh to Site = 133.33/- per meter, Head load cartage from Road site to site = 500

[2] Cost of pipe at Rishikesh (@ 5807/-)= Bill paid @ 6440.00 per meter – Rs 133.33 (Rishikesh to sit) – Rs 500.00 (Road site to site) only for agreement no- 17/EE/2013-14

[3] Cost of pipe under Nabard = Rs 6800/- per meter, Cost of pipe under AIBP = Rs 2275.25 per meter Difference of rate = (6800.00-2275.25) = Rs 4524.75 per meter and Difference of rate for pipe @ 5807/- = (Rs 5807.00 – 2275.25) = Rs 3531.75
Cost of 3200 meter pipe (At Rishikesh) = 3200m x Rs 4524.75 = 14479200.00 (A)
Cost of 200 meter pipe (At Rishikesh)= 200m x Rs 3531.75 = 706350.00 (B)
Total Excess Amount paid = 15185550.00 = 151.86 lakh (Say)

खण्ड का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि खण्ड द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि नाबार्ड के अंतर्गत पाइप के दरें कोटेशन से प्राप्त की गई थी जबकि शेष दरें Schedule of Rate पर आधारित थी, जिसका साक्ष्य (कोटेशन की छायाप्रति) अनुपलब्ध था। इसके अतिरिक्त खण्ड द्वारा नाबार्ड योजना (लस्तर बाई नहर) के अंतर्गत पुनरीक्षित आगणन जो फरवरी 2016 में ही स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया था, में भी पाइप की दरें (Supply & Fixing) 8482/- प्रति मी. की लागत से ही प्रेषित किया गया था जबकि उक्त समयावधि में ही AIBP योजना के अंतर्गत पाइप की दर 2275.25 प्रति मी. (base rate) की दर से खरीदी गयी थी। खण्ड का उत्तर इसलिए भी अमान्य है क्योंकि वर्ष 2013-14 एवं 2015-16 में भी MS pipe की base rate पी डब्ल्यू डी की SOR के अनुसार 2245/- प्रति मी. पर ही निर्धारित थी।

अतः खण्ड द्वारा योजना के निष्पादन में पाइपों के मद में 151.86 लाख का अधिक भुगतान कर ठेकेदारों को लाभ पहुचाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो 'ब'

प्रस्तर:2- कार्य के निष्पादन से ठेकेदार को 16.00 लाख का अनु चत लाभ।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा नाबार्ड योजना के अंतर्गत रूद्रप्रयाग में जखौली वकास खण्ड के अंतर्गत लस्तर बाई नहर (लम्बाई 18 कमी) हेतु 984.28 लाख की प्रशासनिक एवं वत्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी (मार्च 2012) जिसमें 935.07 लाख नाबार्ड से ऋण के रूप में तथा 49.21 लाख राज्य सरकार द्वारा वहां कया जाना था। कार्य के निष्पादन हेतु 17 अनुबंध (मात्र 3.4 कमी हेतु) 331.80 लाख की धनरा श हेतु गठित कए गए जिसके अनुसार कार्य समाप्ति की ति थ 27.04.2014 एवं 20.05.2014 थी। कार्य पर वर्तमान तक कुल व्यय 288.00 लाख था

अ धशासी अ भयंता, संचाई खण्ड, रूद्रप्रयाग के अ भलेखों की जांच में (मई 2017) में पाया गया क उक्त योजना के अंतर्गत कार्यों के निष्पादन हेतु वस्तृत आगणन में अन्य मदों के साथ एक मद MS pipe (350 mm) का प्रा वधान 8500.00 प्रति मीटर[4] की दर से कया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया क उपरोक्त अनुबंधों के अंतर्गत ठेकेदारों द्वारा 3200 मीटर पाइपो को (16 अनुबंधों द्वारा) सर्फ रोड साइट तक पहुंचाया गया था क्यों क रोड साइट से कार्य स्थल तक पुहंच मार्ग उपलब्ध नहीं था। कन्तु खण्ड द्वारा ठेकेदारों को उक्त पाइपो के सापेक्ष 7440/- प्रति मी. क दर से निम्नानुसार भुगतान कया गया था जो वास्त वक रूप से भुगतान की जाने वाली धनरा श से 16.00 लाख अ धक थी।

Sl No.	Description of items	Rate (in Rs)	Qty of work executed	Amount paid to the contractor	Qty of work was to be executed actually	Actual amount to be paid	Excess amount paid
	A	B	C	D=BxC	E	F=BxE	G=D-F
1.	Cost of pipe at Rishikesh	6800/- per meter	3200 meter	21760000.00	3200 meter	21760000.00	0.00
2.	Cartage from Rishikesh to Site	133.33/- per meter	3200 meter	426656.00	3200 meter	426656.00	0.00
3.	Head load charges from Road side to actual site	500/- per meter	3200 meter	1600000.00	0.00	0.00	1600000.00
	Total			**23786656.00**		**22186656.00**	**1600000.00**

[4] Cost of Pipe at Rishikesh = Rs 6800.00 per meter, DCartage fro Rishikesh to Site = 133.33/- per meter, Head load cartage frome Road site to site -= 500, Coast of bend = 844.72/- per meter, Fixing charges = Rs 130/- per meter, Subgrading for laying = 50/- per meter, Cost of 2 coat paint = 42/- per meter.

उक्त की ओर इंगित किए जाने पर खण्ड द्वारा उक्त को स्वीकार्य करते हुये उत्तर में बताया गया कि अनुबंध के सापेक्ष चालित देयक का भुगतान किया गया। कार्य स्थल पर पाईप न पुहंचाने की दशा में आगामी बीजक से रोकी गयी धनराशि की वसूली की जाएगी।

खण्ड के उत्तर से स्वतः स्पष्ट है कि खण्ड द्वारा ठेकेदार को 16.00 लाख का अधिक भुगतान किया गया। पुनः खण्ड का यह कथन कि अनुबंध के सापेक्ष चलित देयक का भुगतान किया गया था, मान्य नहीं है क्योंकि अनुबंध के अनुसार ठेकेदारों को न केवल पाइपों को कार्यस्थल तक पहुंचाना था अपितु उसकी फिटिंग भी की जाना था जिसकी दर 8500/- पर मीटर निर्धारित थी।

अतः खण्ड द्वारा पाइपों के कार्य पर ठेकेदार को 16.00 लाख का अनुचित लाभ पहुंचाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो 'ब'

प्रस्तर:3- कार्य के प्रगति पर न होने से पाइपों के क्रय पर   28.23 लाख का अलाभकारी व्यय।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा AIBP के अंतर्गत जनपद रूद्रप्रयाग में सयागाड़ नहर निर्माण योजना हेतु   415.47 लाख की प्रशासकीय एवं वत्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी (जनवरी 2014)। उक्त योजना के अंतर्गत कार्यों के निष्पादन में 11 मदों में कार्य कए जाने थे जिसमें एक मद " Supply & fixing of 350 mm Dia MS pipe with Flange" भी था। जिसके निष्पादन हेतु कोटेशन के आधार पर MS Pipe 1200 मी. की सप्लाई हेतु एक अनुबंध (17/अ.अ/2015-16 दिनांकत 19.03.2017)   28.66 लाख हेतु गठित कए गए थे।

अ धशासी अ भयंता, संचाई खण्ड, रूद्रप्रयाग के अ भलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया (मई) क खण्ड द्वारा उक्त कार्य के निष्पादन में   1182.00 मी. पाइप (2389.01 R/m) क्रय के सापेक्ष   28.23 लाख का भुगतान कया गया था जिसके पश्चात उक्त योजना पर कोई कार्य नहीं कया जा रहा था जिसके कारण उक्त पाइप पर कया गया व्यय   28.23 लाख एक अलाभकारी व्यय था।

उक्त की ओर इंगति कये जाने पर खण्ड द्वारा उत्तर में बताया गया क AIBP योजना के प्रधानमंत्री कृ ष संचाई योजना (PMKSY) के अंतर्गत समाहित हो जाने के कारण सयागाड़ नहर निर्माण की योजना PMKSY के अंतर्गत स्वीकृति हेतु प्रे षत है, स्वीकृति प्राप्त होते ही योजना पूर्ण कर ली जायेगी।

खण्ड के उत्तर से स्वतः स्पष्ट है क उक्त (AIBP) योजना PMKSY के अंतर्गत समाहित हो जाने के कारण नई स्वीकृति की प्रत्याशा में उस पर कोई कार्य नहीं कया जा रहा है।

अतः पाइप के क्रय पर कया गया व्यय   28.24 लाख एक अलाभकारी व्यय था।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
28/1987-88	-	1
17/1988-89	-	1,2
90/1989-90	-	2,5
53/1990-91	01	-
172/1991-92	-	1,2,3
02/2001-02	-	1
16/2002-03	-	2,3
09/2003-04	1	2
16/2004-05	1	2
62/2005-06	1	-
51/2008-09	1,2	1,2,3,4,5
23/2010-11	-	1
57/2011-12	1,2,3	1,2,3
74/2014-15	-	1,2,3

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
NIL				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, संचाई खण्ड, रूद्रप्रयाग तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

(i) एस.पी.ए.आर. के अन्तर्गत रूद्रप्रयाग के जखोली वकास खण्ड के अन्तर्गत चाका, पूर्वी चाका एवं फ्लाठी गांव की मन्दा कनी नदी से कटाव सुरक्षा योजना के अन्तर्गत गठित 46 अनुबंधों करे सापेक्ष मात्र 16 अनुबंध (01/अ.अ./2015-16 से 16/अ.अ./2015-16 के उपलब्ध कराये गये।

(ii) माप पुस्तिका का सं. 600 एवं 621 अप्रस्तुत

2. सतत् अनिय मतताएः

(i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	1. श्री रामबाबू संह,	अ धशासी अ भयन्ता

4. वगत संप्रेक्षा से अब तक निम्न ल खत खण्डीय लेखा धकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

1. श्री आलोक कुमार

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति कार्यालय अ धशासी अ भयन्ता, संचाई खण्ड, रूद्रप्रयाग को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार, आ र्थक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, इंन्दिरा नगर, देहरादून को प्रे षत कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी

आ र्थक खण्ड-II